

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री गणेश चन्द्र खत्री, जन्मतिथि 01.06.1958 कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर हनुके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2017 के अनुसार सिविल सेवाएँ पेन्शन नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2017 से राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गणेश चन्द्र खत्री, कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध आज तक :—

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/अधीन नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

Nt ०

(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/साप्र/बी-१/3104/2013-14/५२३

दिनांक ०६/०६/१७

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :—

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनस कल्याण विभाग राज० जोधपुर
- ✓ 2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा, विभागीय बैचलाइट पर ३५००० हैंड
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर
4. संबंधित कार्मिक श्री श्री गणेश चन्द्र खत्री, कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर
5. निजी गार्ड पंजिका

L
अतिरिक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

५१

६
३
३.६

२००१/
१९६१-